न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–150/2021

प्रार्थीगण

1 दिनेश पुत्र अचलाराम 2 भूरीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी हरखोणी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत काउ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केशाराम के कायम मुकाम 1/1 डालूराम 1/2 मूलाराम पिसरान केशाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु 2 हरखाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी हरखोणी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत काउ का खेड़ा 3 धर्माराम 4 रेवताराम 5 तेजाराम पिसरान पैलादराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु 6 पीराराम फौत के कायम मुकाम 6/1 आईदानराम 6/2 डूंगराराम पिसरान पीराराम 7 उदाराम के कायम मुकाम 7/1 टीकूराम 7/2 जगदीश पिसरान उदाराम 8 उम्मेदाराम 9 चूनाराम 10 रूगाराम पिसरान करनाराम 11 जमनादेवी पत्नी करनाराम 12 अर्जुनराम 13 गिरधारीराम पिसरान गोमाराम जाति जाट निवासी हरखोणी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत काउ का खेड़ा 15 रूपाराम 16 कानाराम 17 तुलछाराम 18 पूनमाराम 19 लुम्बाराम पिसरान बनाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु 20 राजूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी हरखोणी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत काउ का खेड़ा 21 चूनाराम 22 रेखाराम पिसरान पदमाराम 23 दमी पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु 24 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भोमाराम सियाग, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 02, 13, 15, 16 व 21।

आदेश

दिनांक 15.05.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 493/151 रकबा 64.09 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 23 के मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्य 492/151 रकबा 159.15 बीघा भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते 13 फीट चौड़ाई से जो संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी में वरंग लाल से दर्शाइ गई भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 23 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 02, 13, 15, 16 व 21 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/251ए/2023/893 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रास्ते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 493/151 रकबा 64.09 हैक्टेयर भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा न ही कोई वैकल्पिक रास्ता है।

अधिकारी

क पर संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार डामर सड़क बनी हुई है जो राजस्व रेकर्ड में कटान नही है। उक्त सड़क से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 23 की भूमि मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्य 492/151 रकबा 159.15 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अनुसार 12 फीट रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौडाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (बीघा में)	डीएलसी दर प्रति बीघा
1	2	3	4		5	6	7
1	केशा हरखा पिसरान दुर्गा धर्माराम रेंवताराम तेजाराम पिसरान पैलाद पीरा उदा पिसरान गोरधनराम उम्मेदाराम चुनाराम रूगाराम पिसरान करनाराम जमनादेवी पत्नी करनाराम अर्जुनराम गिरधारीराम पिसरान गोमाराम तुलसीदेवी पत्नी गोमा रूपाराम करनाराम तुलछाराम पूनमाराम लुम्बाराम पिसरान बना राजू चूना रेखा पदमा दमी पत्नी पदमा पारू पत्नी वेहना कौम जाट सा. देह खातेदार	492/151	159.15	बा.सो.	12 X 834	0.12	87338/–

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों ने तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अतः उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 493/151 रकबा 64.09 हैक्टेयर भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 23 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 23 की भूमि मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्य 492/151 रकबा 159.15 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है, 12 फीट रास्ता प्रस्तावित है। प्रार्थीगण उक्तानुसार भूमि की दूगुनी राशि 104806/–रू. के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर